

मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, ग्राम-तुमिडीह, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लॉट नं. 251, 252, 253 एवं 254, कुल क्षेत्रफल 8.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेश मार्इलड स्टील इंगोट्स/बिलेट्स सीसीएम एवं 1x15 टन एल.आर.एफ. के साथ क्षमता-1,64,160 टन/वर्ष, री-रोलड प्रोडक्ट हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता-1,60,800 टन/वर्ष, एम.एस. वॉयर कोल्ड वायर ड्राईंग यूनिट क्षमता-1,57,500 टन/वर्ष, फेरो एलायज क्षमता-82,000 टन/वर्ष और/अथवा पिग ऑयरन क्षमता-1,64,000 टन/वर्ष (ग्रीनफिल्ड्स प्रोजेक्ट) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05 मार्च 2021 का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, ग्राम-तुमिडीह, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लॉट नं. 251, 252, 253 एवं 254, कुल क्षेत्रफल 8.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेश मार्इलड स्टील इंगोट्स/बिलेट्स सीसीएम एवं 1x15 टन एल.आर.एफ. के साथ क्षमता-1,64,160 टन/वर्ष, री-रोलड प्रोडक्ट हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता-1,60,800 टन/वर्ष, एम.एस. वॉयर कोल्ड वायर ड्राईंग यूनिट क्षमता-1,57,500 टन/वर्ष, फेरो एलायज क्षमता-82,000 टन/वर्ष और/अथवा पिग ऑयरन क्षमता-1,64,000 टन/वर्ष (ग्रीनफिल्ड्स प्रोजेक्ट) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05.03.2021, दिन-शुक्रवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-बंजारी मंदिर के समीप के स्थल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्कैनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

सर्वप्रथम मैं अर्जुन मालाकार, लाइजनिंग मैनेजर एन.आर. स्टील एंड फेरो प्रा. लिमिटेड की ओर से, माननीय अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा जी, एस.डी.एम. घरघोड़ा श्री ए.के. मार्बल जी, क्षेत्रीय अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री शितेश वर्मा जी, एडीशनल एस.पी. श्री अभिषेक वर्मा जी, सी.एस.पी. महोदय श्री अविनाश ठाकुर जी एवं उपस्थित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारीगण, पुलिस विभाग के अधिकारीगण एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा उपस्थित समस्त जन प्रतिनिधिगण तथा ग्रामवासियों का प्रस्तावित इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित इस लोक सुनवाई में आए सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रस्तावित

ग्रीनफील्ड परियोजना ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, पूजीपथरा, तुमिडीह में 08 हेक्टेयर भू-भाग पर इण्डक्शन फर्नेस, एल.आर.एफ. तथा सी.सी.एम. से 1,64,160 टन प्रतिवर्ष एम.एस. इंगाट्स/बिलेट, हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल से 1,60,800 टन प्रतिवर्ष रि-रोल्ड स्टील, 1,57,500 टन एम वायर ड्राईंग इकाई तथा सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस से 82,000 टन प्रतिवर्ष फेरो एलायज और/या 1,64,000 टन प्रतिवर्ष पिग आयरन बनाने की इकाई लगाने का प्रस्ताव है। इस हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय को आवेदन किया जिस पर हमे स्टैंडर्ड टी.ओ.आर. F.No. J-11011/200/2020.IA.II (I) दिनांक 19.09.2020 प्राप्त हुआ जिसके पश्चात संशोधित क्षमता हेतु संबंधित स्टैंडर्ड टी.ओ.आर. दिनांक 16.12.2020 जारी किया गया। इनवायरमेंट कन्सल्टेंट मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड ने ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुरूप टी.ओ.आर. के संदर्भों पर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार किया है। प्रतिवेदन में प्रस्तावित स्थापना से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव तथा उत्पन्न होने वाले प्रभावों के शमनकारी उपायों का वर्णन किया है। एनाकॉन लेबोरेटरी ने उद्योग परिसर से 10 कि.मी. त्रिज्या के अध्ययन क्षेत्र में बेसलाईन डाटा का अध्ययन किया। पर्यावरण प्रभावा आंकलन अध्ययन में जल, वायु, ध्वनि तथा मृदा के नमूनों के जाँच से पाया कि नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप है। हमारे प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार के ईंधन या कोयले का उपयोग नहीं होने वाला है तथा परियोजना पूर्ण रूप से विद्युत ऊर्जा से संचालित होगी तदैव परियोजना का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव भी नगण्य है। परियोजना ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क में प्लाट में प्लाट नंबर 251, 252, 253 एवं 254 में 08 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है। परियोजना की भूमि औद्योगिक उपयोग की भूमि है तथा प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता नहीं है। परियोजना हेतु उपयोग होने वाली कुल भूमि 08 हेक्टेयर में से लगभग 39.01 प्रतिशत अर्थात् 3.12 हेक्टेयर भूमि को ग्रीनबेल्ट के रूप में विकसित किया जावेगा। हमारी परियोजना पूर्णतः विद्युत आधारित परियोजना है केवल एल.आर.एफ. में फर्नेस आयल प्रीहीटिंग के लिए उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला या फर्नेस ऑयल आदि का उपयोग प्रस्तावित नहीं है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना की जावेगी। जिसमें चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जावेगी। परियोजना में एम.एस. इंगाट्स, बिलेट्स हेतु रॉ मटेरियल के रूप में स्पंज ऑयरन, सी.आई., पिग ऑयरन, हैवी स्क्रैप, फेरो एलायज का उपयोग होना प्रस्तावित है जो कि समीप के उद्योगों से क्रय किया जावेगा। हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपरोक्त इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादित गर्म बिलेट को सीधे रोलिंग मिल में ले जाकर रोल्ड स्टील तैयार किया जावेगा। इस प्रकार ईंधन रहित स्वच्छ तकनीकी पर आधारित उद्यम का विकास होगा। वायर ड्राईंग यूनिट में एम.एस. वायर राड को वायर ड्राईंग यूनिट में वायर ड्राईंग तकनीकी से वायर का आकार दिया जावेगा। इस कार्य में कोई ईंधन उपयोग नहीं होगा। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में मैग्नीज ओर, मैग्नीज स्लेग क्वार्टज, कोक/कोल/चारकोल, डोलोमाईट, इलेक्ट्रोड पेस्ट, एम.एस. शीट, लानसिंग पाईप, आक्सीजन गैस आदि कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जावेगा। यह प्रक्रिया भी विद्युत आधारित होगी। ईंधन का उपयोग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना में सॉलीड वेस्ट के रूप में मेल्टिंग स्क्रैप (डिफेक्टिव बिलेट, मिसरोल्स, स्क्रैप) उत्पन्न होगा जिसे प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जावेगा। इण्डक्शन फर्नेस से उत्पन्न होने वाले मिल स्केल को प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जावेगा। बची हुई मात्रा को अन्य फेरो एलायज या पैलेट प्लांट को कच्चे माल के रूप में बेचा जावेगा। इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग उत्पन्न होगा जिसे मेटल रिकवरी यूनिट को बेच दिया जावेगा। फेरो एलायज स्लेग को लैडफील तथा ईट बनाने के लिए दिया जावेगा। रिफैक्ट्री वेस्ट को पुनःचक्रणकर्ता

(9)

अथवा लैंडफील अथवा ईट बनाने के लिए दिया जावेगा। परियोजना में उत्पन्न होने वाले सभी अपशिष्टों का उचित प्रबंधन किया जावेगा। परियोजना से गैसीय उत्सर्जन की संभावना नहीं है वरन धूलकण उत्सर्जन ही संभावित है। इण्डक्शन फर्नेस में जिस हेतु गुवेबल सक्शन हुड के साथ बैग फिल्टर का उपयोग किया जावेगा। पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को 30 मि.ग्रा./सा. घनमीटर तक नियंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में पी.टी.एफ.ई. प्रकार के बैग फिल्टर का उपयोग किया जावेगा। पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को 30 मि.ग्रा./सा. घनमीटर तक नियंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। वायर ड्राईंग तथा हाट चार्जिंग रोलिंग मिल में किसी प्रकार का वायु प्रदूषण संभावित नहीं है। परियोजना में जल का स्रोत भू-जल होगा। इस हेतु केन्द्रीय भूमिगत प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावेगी। परियोजना का क्षेत्र केन्द्रीय भूमिगत प्राधिकरण के अनुसार सेफ जोन में है। परियोजना में कुल 560 के.एल. जल प्रतिदिन उपयोग होगा। इस हेतु आवश्यक अनापत्ति सी.जी.डब्ल्यू.ए. से प्राप्त की जावेगी तथा सी.जी.डब्ल्यू.ए. के मार्गदर्शन में वाटर रिचार्ज की व्यवस्था भी की जावेगी। परियोजना में जल का उपयोग शीतलन हेतु किया जावेगा। शीतलन हेतु क्लोस्ट सर्किट कुलिंग सिस्टम लगाया गया है। जिसमें जल लगातार पुनःचक्रित होता है। तदैव प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कर्मचारियों में कुल 360 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। कर्मियों उपयोग किए जाने वाले घरेलू उपयोग से उत्पन्न दूषित जल के निराकरण हेतु एस.टी. पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण किया जावेगा। परियोजना में प्रस्तावित लागत 119.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिस हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र 01.05.2018 के अनुसार 1.5 प्रतिशत अर्थात् 180 लाख रुपये सी.ई.आर. (कार्पोरेट एनवायरमेंटल रिसर्पोसिबिलिटी) के रूप में खर्च किए जावेंगे। सी.ई.आर. व्यय जन भावना के अनुरूप आस-पास के क्षेत्र में पर्यावरण गुणवत्ता उन्नयन तथा दुष्प्रभाव शमन हेतु किया जावेगा। परियोजना में कार्यरत कर्मचारी ज्यादातर स्थानीय क्षेत्र से हैं भविष्य में भी स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना से संबंधित जो भी सुझाव हैं उन्हें हम यथासंभव तथा श्रेष्ठ ढंग से अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। निवेदन है कि उपस्थित जन समुदाय हमारे पर्यावरण प्रिय परियोजना को अपना समर्थन प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 700-800 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 152 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है -

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री -

1. अंकुर मालाकार, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। मैं बंजारी मंदिर का संचालक हूँ। पहले जितने प्लांट आये यहां तब से यहां बहुत सुविधा हो गया है। कोई विरोध भी करे तो 5 मिनट से ज्यादा समय न ले गर्मी बहुत है। बंजारी मां का आशीर्वाद सब को मिले।
2. तुलसी शर्मा, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
3. पदमिनी, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
4. भगवती यादव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
5. सरस्वती, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
6. बंसती, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
7. रेवती, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
8. उर्मिला, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
9. महेश्वरी साव, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
10. जमनीबाई, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
11. सरस्वती यादव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
12. यशोदा, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
13. मलाकार, बड़माल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
14. दयाराम, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
15. रामु यादव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
16. चक्रधर यादव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
17. डिग्रीलाल, तुमीडीह - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
18. संतोष पण्डा, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। एन.आर. ग्रुप बहुत अच्छे है। सामाजिक, धार्मिक सहयोग करता है।
19. उर्मिला, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
20. शशि चौहान, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
21. अंजना यादव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
22. अंबिका यादव, ससामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
23. नान देवागंन, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
24. समारीबाई, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
25. संतोषी देव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
26. संतोषी यादव, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
27. पुनीबाई, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
28. कुंती, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
29. उत्तरा कुमार, सामारूमा - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

30. तेजराम, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
31. पुराईलाल, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
32. देवराज, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
33. उदेराम यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
34. गोपाल, राघगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
35. रामु, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
36. सुखीराम, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
37. अरूण यादव, सारसमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
38. सोना राठिया, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
39. बसंती बाई, पूंजीपथरा – जितनी मजदूरी है उनका रेट बढ़ाये, महंगाई बढ़ रहा है। बाजार जाते हैं तो झोला नहीं भरता है। मेरा पति 12 साल से काम कर रहे कुछ नहीं हो रहा।
40. ईश्वरी, पूंजीपथरा – मजदूरी का रेट बढ़ायें।
41. मंगलीबाई, तराईमाल – पानी के व्यवस्था चाहिए।
42. सांदमति, तराईमाल –
43. बिमलाबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
44. शनिराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
45. मलिकराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
46. रतिराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
47. दुर्गा प्रसाद, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
48. समारू, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
49. गोमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
50. टिकेश्वरी सिदार, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
51. पदमा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
52. ननकीनोनी, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
53. मीना यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
54. मीराबाई, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
55. बाई, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
56. वृन्दावती, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
57. तिहारू, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
58. सीताराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
59. टिकाराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
60. रामु – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
61. राकेश, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

326. मनोज कुमार, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
327. उत्तम कुमार, पूंजीपथरा — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
328. शिवा, सामारूमा — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
329. सरोज यादव, — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
330. शिवकुमार, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
331. हेमेल सिंह, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
332. विजय कुमार — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
333. दिनदयाल मांझी, तुमीडीह — मैं गरीब हू मुझे चावल पहुंचा के देता है ।
334. उसीतलाल, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
335. विजय, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
336. मनमोहन, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
337. जितेन्द्र, तराईमाल — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
338. प्रवीण, आमाघाट — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
339. संजय, आमाघाट — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
340. जोगीराम, आमाघाट — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
341. सुरज कुमार, आमाघाट — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
342. प्रवीण, आमाघाट — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
343. संजय, आमाघाट — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
344. प्रेमलाल, सामारूमा — मैंने सुना है कि कंपनी वाले भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, और पब्लिक भी भ्रष्ट है। कंपनी लग रही है तो असुविधा तो होगी लेकिन पब्लिक इतने धुप में आई है। लॉक डाउन में कुछ दिन के लिये कंपनी बंद किये बहुत दिक्कत हुआ था। कंपनी आये अपना विस्तार करें और लोकल मजदूर भाई को रोजगार दे, रोड का भी ध्यान दे। मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
345. मदन, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
346. राजाराम, — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
347. दीपक कुमार, उज्जवलपुर — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
348. आनंदराम, तराईमाल — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
349. राजेश, — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
350. धनंजय निषाद, उज्जवलपुर — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
351. सुधीर कर्ष, — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
352. रामकुमार, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
353. हरसिंह, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
354. हीरालाल, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
355. करनसिंह, तुमीडीह — मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

- 356. भरत कुमार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
- 357. राधेलाल, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
- 358. तारिका तरंगिनी लकरा, पूंजीपथरा – सर्वप्रथम मैं अपनी वही बात आज फिर दोहराती हूँ, इस फर्जी जनसुनवाई को यही रोक दीजिए आगे मत बढ़ाईये। हजारों की मौत के पाप का भागी गत बनिए। माँ बंजारी आपसे इस पाप का हिसाब जरूर लूंगी क्योंकि आप अपने पाप के लिए माँ के पवित्र स्थल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक आपसे मैंने जनसुनवाई से जुड़े कई सवाल पूछे हैं जिन्हे जाने बगैर मैं उद्योगों के विस्तार या स्थापना के लिए सहमति नहीं दे सकती और इन सवालों का मुझे जवाब देना आपका फर्ज है। इन सवालों के जवाब लेना मेरा अधिकार है। मुझे इतना तो बता दीजिए की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधन) क्या है? जिसके तहत आप यह जनसुनवाई करवाते हैं। आज फिर से एन.आर. कंपनी के लिए ही जनसुनवाई कराने का क्या मतलब है? 03.03.2021 को ही आपने इस कंपनी के लिए फर्जी जनसुनवाई करवाई है। इस जनसुनवाई की आवश्यकता भी आपको क्या है? संबंधितों को आप सूचना देते नहीं पंचायतों के सरपंचों, पंचों को पैसे देकर बाहरी व्यक्तियों को बुला कर समर्थन करा लेते हैं। सूचना पत्र तो एक दिखावा है जिसके हाथ लग गया आ जाएगा। कम से कम 10 कि.मी. की दूरी तक के लोग इस उद्योग से प्रभावित होंगे। अब आपसे मैं पूछूँ की तुमिडीह से 10 कि.मी. की दूरी में कौन-कौन सी पंचायत आती है तो आपके पास यही 6 पंचायतों के नाम होंगे क्योंकि इस एन.आर. कंपनी ने इसके लिए ही आपको बताया होगा। आपके विभाग की जिम्मेदारी खुद से जानकारी इकट्ठा करना तो है ही नहीं? ना ही इतना दिमाग शायद आप लोगों को होगा। मुझे बताइये तुमिडीह से गेरवानी, सराईपाली, गदगांव, जमडबरी क्या 10 कि.मी. के अंदर की पंचायतें नहीं है उन्हे आपने सूचना क्यों नहीं दी? देलारी को भी सूचना नहीं दी गई। एन.आर. इस्पात स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड 08 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस माईल्ड स्टील इंगोट्स/बिलेट्स सी.सी.एम. एवं 01 गुणा 15 टन एल.आर.एफ. के साथ क्षमता 1,64,160 टन/वर्ष, सी-रोल्ड प्रोडक्ट हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता- 1,60,800 टन/वर्ष एम.एस. वॉयर कोल्ड वायर ड्राईंग यूनिट क्षमता-1,57,500 टन/वर्ष, फेरो एलायज क्षमता-82,000 टन/वर्ष और/अथवा पिग ऑयरन क्षमता-1,64,000 टन/वर्ष की स्थापना करेगा तो इसके प्रदूषण का माप कितना है? प्रदूषण सेहत के लिए हमेशा हानिकारक ही है इस प्रदूषण से हमारी सेहत पर कैसे और कितना असर होगा इतना तो बता दीजिए। इसकी स्थापना से प्रदूषण होगा, तो आप भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम F.NO. 22-25/2020/IA.III दिनांक 14.09.2020 तथा कोरोना वाईरस के नियंत्रण एवं रोकथाम कैसे कर सकेंगे। एक तरफ आप बीमारी को नियंत्रण दे रहे हैं दूसरी तरफ आप कर रहे हैं की हम रोकथाम कर रहे हैं। आखिर इस महामारी को समाप्त होने तक आप विस्तार और स्थापना पर रोक क्यों नहीं लगाना चाहते हैं। हमें क्यों मारना चाहते हैं। हमारा क्षेत्र पॉचवी अनुसूची क्षेत्र है पेसा कानून यहां लागू है पंचायती राज अधिनियम है इसके बावजूद सरकार हमारे क्षेत्र में हमारी सहमति के बगैर ये जनसुनवाई करा कर हमें सूचना दिए बगैर बाहरी लोगों को समोसे, चाय खिला कर हमारा सौदा कर रही है। इन उद्योगपतियों को संपत्ति अर्जन के लिए हमें मार रही है। जब पूरा देख, पूरी दुनियां महामारी से जूझ रही है। आप सरकारी अधिकारी है देश की जनता अपने अक्स से आपको और

आपके परिवार को पाल रही है क्योंकि जनता ने आपको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है और आप आज एक उद्योगपति के लिए पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति जनता से लेने आए हैं वो भी सिर्फ कागजों में शो करने के लिए जिनसे आपको राय लेनी चाहिए उनको तो पता भी नहीं है की आज जनसुनवाई हो रही है। रायगढ़ से लेकर पूंजीपथर तक प्रदूषण की वजह से पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित है कि लोग असमय मर रहे हैं बीमारी का पता ही नहीं है। टी.बी., कैंसर, दमा, चर्म रोग, सिलीकोसिस, टायफाइड मलेरिया इन बीमारियों को पहले हम जानते ही नहीं थे। कही मलेरिया या टाइफाइड सून लेते थे तो पूरा गांव उस घर में मिलने जाते थे पूरे गांव में हमारे लिए ये बहुत बड़ी-बड़ी बात होती थी इन उद्योगों ने आज ऐसा बना दिया की लोग मर जाएं तो भी साधारण बात हो गई। आपके लिए देश के लोगों का मरना ही देश का विकास बन गया है। हमारी गरीबी मिटाने के नाम से उद्योग लगवाते जा रहे हैं और हम गरीबों को ही मिटाते जा रहे हैं फिर भी कर हरे हैं ये उद्योग हमारे फायदे के लिए हैं। अनुसूचित पंचायत में उद्योग की स्थापना के लिए आपको ग्रामसभा से सलाह करना अनुमति लेना आवश्यक है लेकिन आप संवैधानिक पदों पर हर कर संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। यहां पुलिस विभाग जिसे हमारी सुरक्षा के लिए बोल कर आप ड्यूटी लगाते हैं। हर जनसुनवाई में उनका व्यवहार हमारे साथ ऐसा होता है जैसे जेल में कैदी मुजरीम है हम। और उद्योगपतियों के कर्मचारियों, ठेकेदारों, दलालों को देख कर ही सलाम करते हैं। ये व्यवस्था है। आज इस जनसुनवाई से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन चल रहा था और पार्टी टी.एस. बाबा को मुख्यमंत्री बने हमने आंदोलन चलाया सभाएं लगाई, तब आपकी पार्टी की मजदूरी हुई जो आप मुख्यमंत्री बने। आज आप अपनी पार्टी के इशारे पर हमारे अधिकारों, हमारी जिंदगी का सौदा इन उद्योगपतियों से कर रहे हैं जनता आपको सबक सिखाएगी। आपकी सरकार में उद्योग प्रभावितों पर फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। मानसिक, शारिरिक प्रताड़ना दी जा रही है और आपके सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उद्योगों की रिश्वत लेकर हमें मारने का षड़यंत्र कर रहे हैं। पूंजीपथरा, तुमीडीह में 35-40 उद्योग स्थापित है एक ही छोटे से गांव में इतने उद्योगों का होना क्या आपको समझ में नहीं आता की ये मानव जीवन के लिए खतरा है। हमारी पंचायत में उद्योगों के आने के बाद से ही रिश्वत और भ्रष्टाचार के माध्यम से बाहरी लोगों को पहचान दी गई है वोटर आई.डी., राशन कार्ड, आधार कार्ड जारी किए गए हैं जो लगाता हमारे क्षेत्र में लोगों की जमीन हड़प रहे हैं। इन उद्योगों की मांग करते हैं हमें अपने अधिकारों से वंचित करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस बाहरी लोगों की पहचान रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि यही लोग हमारी जिंदगी की दलाली कर रहे हैं। इनकी किमत 100-200 रु. से ज्यादा नहीं है। जनसुनवाई के नियमों के अनुसार यह जनसुनवाई यहां बंजारी मंदिर प्रांगण में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप संविधान या अपने फर्ज से नहीं बंधे हैं आप उद्योगपति एन.आर. कंपनी के मालिक की रिश्वत से बंधे हैं। कितने रूपयों में सौदा किए हैं आप अपने कर्तव्य का? प्रदूषण से हमारा क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका है आप एन.आर. कंपनी पर विश्वास कर वही समझ रहे हैं जो इन्होंने बताया है। सच्चाई में आपको दिखाती हूँ चलिए मेरी स्कूटी पर तेल का पैसा नहीं मांगूंगी पूरा क्षेत्र घूमा कर आपको आपके घर तक छोड़ूंगी। उसके बाद आपकी जो हालत होगी उसे देख कर इमानदारी से इस जनसुनवाई को पास कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बाते आपके लिए भैस के आगे बीन बजाने जैसी है लेकिन ये रिकार्ड है। एक समय आएगा आप अधिकारी नहीं होंगबच्चे आपके, नाती-पोते जवान होंगे तब

देश आपकी गलती से उद्योगपतियों का गुलाम होगा आपके बच्चों को अपना कोई भविष्य नहीं दिखेगा तब ये रिकार्ड उन्हे बताएंगे की उनकी इस दुर्दशा का कारण आप है। और यहां आए झूठे समर्थक, दलाल, सरपंच, पंच सबको यही सबक मिलेगा तब बुढ़ापे में आपकी अपनी औलादें जो सेवा देगी वो मेरे लिए बहुत सुखद होगा। आज आपका समय है सुखी रहिए। मेरे बोलने से यहां लोगो को आपत्ति होती है। वो भी उन लोगो को जो उद्योगों भाड़े में लाए हुए बाहरी लोग है। जब वो मेरे साथ यहां बत्तमीजी करते है आप माईक कैमरा बंद कर देते हैं। मेरा हक है आज मैं जितना बोलना चाहूँ यहां बोल सकती हूँ। ये मेरा अधिकार है। 18 साल जिंदगी इण्डस्ट्रीयल पार्क से प्रताड़ना सहती आ रही हूँ मेरे साथी मेरी माँ और मेरा भाई थे एक को मार डाला और एक घुट-घुट कर मुझे अकेला छोड़ कर चली गई। मैंने यहा घण्टा भर भी नहीं कहा इनके बर्दास्त से बाहर हो गया। कल का छोकरा जो प्रवीण भाई का नाम ले-ले कर गुण गाता था आज मेरी दलाली के लिए एन.आर. कंपनी से सौदा करना चाहता है। खीरू मालाकार मुझे कह रहा है दीदी समर्थन कर दो कंपनी वाले मेरेको बोल रहे हैं। ऐसे लोग अपने परिवार का सौदा करने वाले लोग अपने बच्चों का सौदा करने वाले लोगो की औकात नहीं की वो मेरा भी सौदा कर ले। आपने 03.03.2021 को मुझे कहा था की आप मेरे सवालो का जवाब देंगे। आपने जवाब तो दिया नहीं आज फिर उसी कंपनी के लिए जनसुनवाई कराने आप आ गए। आज जवाब दे दीजिए। आपने कितनी ग्रामसभाओं से आज जनसुनवाई के लिए चर्चा की है या अनुमति ली है। कितनी ग्रामसभाओं से आपने उद्योग के विस्तार के फायदे और नुकसान बताए है? प्रदूषण का माप और ई.आई.ए. रिपोर्ट से आपने कितने लोगो को अवगत कराया है? कितने लोगो को एन.आर. कंपनी ने आज तक रोजगार दिया है? संबंधित पंचायत से। आपने 06 पंचायतों को प्रभावित बताया है और 06 पंचायत में ही नोटिस दी है तो आपने कोई व्यवस्था आज क्यों नहीं की दूसरे आकर उनकी जिंदगी का सौदा यहां ना कर सके। कोई भी पहचान पत्र की जांच आपने नहीं की क्या? एन.आर. कंपनी ने अनुबंध के आधार पर संबंधित पंचायतों में कितने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगवाए है? अनुबंध के आधार पर कितने पंचायतों में एन.आर. कंपनी ने स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की है? अनुबंध के आधार पर कितने बच्चों को संबंधित पंचायतों में शिक्षा दीलाई है? अनुबंध के आधार पर खेतो की सुरक्षा में कितने कार्य संबंधित पंचायतों में एन.आर. कंपनी ने किए है? अनुबंध के आधार पर एन.आर. कंपनी ने सी.एस.आर. राशि का उपयोग संबंधित पंचायतों में कितना किया है? सड़क दूर्घटना की वृद्धि को रोकने के लिए एन.आर. कंपनी ने क्या कार्य किए है? आप इन फर्जी जनसुनवाइयों को बंद कीजिए पहले व्यवस्था सही कीजिए। इन सवालो के जवाब लाइये। आप उद्योगपतियों से रिश्वत लेकर बाहरी लोगो से हमारी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकते ये अधिकार आपको नहीं है। आपने मेरे, मेरे परिवार, गांव और संबंधित सभी पंचायतों के लोगो के नुकसान की भरपाई इस उद्योग से कितनी की है। इस उद्योग के विस्तार से हमारी मौते होगी बीमारियां आएंगी इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? क्यों हम इन उद्योगो को स्थापित की अनुमति दे? कितनी किमत आपने हमारी ली है? क्योंकि हमें तो आज तक कुछ भी नहीं मिला है। संबंधित सभी पंचायतों में प्रभावित स्थायी मूल निवासियों की संख्या लगभग 15000 है। आप भाड़े के लोगो को 400-500 की संख्या में लाकर शो कर रहे हैं और जनसुनवाई सफल बनाने का प्रयास कर रहे है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये उद्योग हमारे किस काम के है। यहां फर्जी सरपंच गंगा प्रसाद धोबी को बनाकर फिर उसके माध्यम से फर्जी उद्योगो के लिए जनसुनवाई का आयोजन कर फर्जी समर्थक लाकर

अनुसूचित पंचायत में फर्जी पर्यावरण प्रदूषण की स्वीकृति आप दिला रहे हैं। यह एक घिनौना अपराध ही है। इसे यही बंद कीजिए मैं तारिका तरंगनी अपना विरोध दर्ज कर इस जनसुनवाई को रद्द करने की मांग करती हूँ।

359. सुकमेत, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
360. कमली, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
361. मालती, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
362. फुलबाई, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
363. तुलेश्वरी तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
364. आरती, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
365. आंचल, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
366. निर्जला, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
367. जयमाला, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
368. कांति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
369. निर्मल, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
370. लालमति, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
371. लता साहू, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
372. सुनिता, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
373. महेश्वरी, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
374. शांति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
375. विमला, तुमीडीह –
376. सिंवता, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
377. पियुषी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
378. बेलमति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
379. विशाखा गुप्ता, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
380. रेखा, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
381. लीलाबाई साहू, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
382. नौवधा –
383. राधिका, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
384. ममता, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
385. मंजु, तराईमाल –
386. अनिता, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
387. साधमति, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
388. हेमा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

389. अनिता राठिया, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
390. बेनी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
391. सीमा चौहान, पूंजीपथरा – कंपनी से कोई वास्ता नहीं मैं समर्थन नहीं कर सकती।
392. फुलबाई, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
393. कोमल, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
394. दुखवति, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
395. रामकुमारी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
396. सविता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
397. मालती राठिया, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
398. मीरा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
399. सुनिता खलखो, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
400. मतोषी राठिया, अमलीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
401. पदमति, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
402. सुमित्रा, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
403. आशमति, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
404. वासु, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
405. आनंद कुमारी, आमाघाट – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
406. अर्जुन, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
407. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
408. सेतराम, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
409. त्रिलोचन सिदार, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
410. विनोद कुमार, सर्व आदिवासी समाज, रायगढ़ – जन सुनवाई के विरोध में आया हूँ। रायगढ़ जिले में 400 से जयादा छोटे बड़े उद्योग है। इस उद्योग को आप दुसरे राज्य में नहीं लगा सकते क्या। यहां का पानी बहुत दूषित हो गया है जिसे गाय तक नहीं पिती। केलो नदी का पानी फिल्टर कर पीने लालक नहीं है। धार्मिक स्थल में जनसुनवाई कैसे करा रहे है। 10 कि.मी. की परिधि के सभी गांववासी को क्यों नहीं बुलाया। प्रभावित ग्राम में ग्रामसभा कराई गई है क्या। यहा कपड़े सुखाने से कपड़े सुखते सुखते काला हो जाता है। दूषित जल के वजह से चर्म रोग हो रहे है। इस प्रदेश में कोई और जिले नहीं है, जहां ये प्लांट लग सकें।
411. हेमकुमार, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। रोजगार कहने से सिर्फ मजदूरी नहीं होता। योग्यता अनुसार नौकरी दें। 12 वी. पास भी आज मजबुर है मजदूरी करने। सी.एस.आर. का छिड़काव पुरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और पूंजीपथरा मर रहा है। अगर आप हमारी गर्दन में बैठे है तो हिफाजत करें।
412. रामविलास – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
413. बाबुलाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

447. लक्ष्मी, छर्राटांगर -
448. सावित्री, छर्राटांगर -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
449. सरस्वती -
450. पूजा, छर्राटांगर -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
451. साधुबाई, तुमीडीह -
452. रूपाई, छर्राटांगर -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
453. विवेक, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
454. शनिराम, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
455. तिहारू, तराईमाल -- कंपनी काम करिस।
456. बनगहिया, तराईमाल -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
457. महेत्तर, तराईमाल -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
458. गुलाब चौहान, सामारूमा -- व्यवस्था की कमी को पुरा कौन करेगा। उद्योगों में जो लेबर काम करने जाते हैं तो कलेक्टर दर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। उद्योग में जो 08 घंटा काम करने में मजदूर को 365 रु. है लेकिन 12 घंटे काम कराकर भी उतना नहीं देते हैं। ग्रामपंचायत सामारूमा में हाई स्कूल खुला है लेकिन भवन नहीं है। पूंजीपथरा में इतने उद्योग हैं सब पैसा दे सी.एस.आर. में तो भवन बन जायें। सामारूमा और पूंजीपथरा की दूरी 12 कि.मी. है लेकिन जानकारी मांगने से तहसीलदार डाक से भेज दिये हैं बोलते हैं।
459. पाल, सामारूमा -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
460. मुकुंद, पडिगांव -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
461. सुरज कुमार, -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
462. हितेश, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
463. हरिहर प्रसाद -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
464. नरेन्द्र, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
465. रोशन, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
466. सुदर्शन, तराईमाल -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
467. पूजा महंत, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
468. प्रियंका महंत, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
469. ज्योति महंत, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
470. मनबोध, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
471. प्रदीप, तुमीडीह -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। प्लांट नहीं था जीरो थे अब हिरो है।
472. द्वारिका, छर्राटांगर -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
473. सुकदेव, तराईमाल -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
474. लक्की, -- मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

506. ललित कुमार, सामारूमा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
507. रस्थुराम, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
508. मोहित कुमार तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
509. राजकुमार चौहान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
510. संस्कार यादव, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
511. सालिकराम – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
512. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – आज की जनसुनवाई मुझे एक नई बात देखने को मिली। सायद हमारे एस.पी. महोदय के पास बल की कमी हो गई है। यहा माननीय न्यायाधिस महोदय सिपाही की भूमिका में है ये पहली जनसुनवाई है जो बहुत ही दुःखद है। सम्मानित है उनका पद, अतिगरिमामयी है उन्हे निश्चित स्थान ग्रहण कर निगरानी करनी चाहिए और न्यायाधीस का कर्तव्य है कि वो न्याय करें। बाहर में जो गेट लगा है उसमें टोकन दिया जाये कि कौन कितने बजे यहा प्रवेश किया है और कब वो बोलेगा। यहा सामने में खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आप अभी आये है तो उसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे है। ये मतदान नहीं है कि आप उम्र की सीमा किसी से पुछे। अपने अच्छे बुरे के लिये एक स्कूल का छः साल का विद्यार्थी भी अपना मत रख सकता है। पर्यावरण के अधिनियम में यहा पर अपना अभिमत रखने का कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। क्या पीठासीन अधिकारी महोदय आंख मुंद कर डर पैदा कर रहे है। आज की इस जनसुनवाई में मैं जो बिन्दुवार आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये संविधान की अनुसुची 5 के अंतर्गत ये क्षेत्र जो है सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आयोजन और वो भी उद्योग से संबंधित उसकी स्थापना या उसके विस्तार से संबंधित आयोजनों पर माननीय राष्ट्रपति या राज्य में माननीय राज्यपाल के बिना अनुमोदन के ऐसी जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैध है, अवैधानिक है, गैर कानुनी है। अनुसुचित क्षेत्रों में पेशा कानून के तहत जो ग्रामसभाओं को अधिकार मिला है यह पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत है। पंचायतीराज व्यवस्था में गांव से लेकर नगर तक उनकी सरकारे है जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देशित नहीं कर सकता उनकी परिधि से अलग है तो क्या रायगढ़ का जिला प्रशासन उन सबसे उपर उठ करके कानून का अवमानना, संविधान का उल्लंघन करने का उसे छुट मिल गया है। क्या माननीय जिला अध्यक्ष महोदय पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सिर्फ नाले में कचरा छाटने का काम को ही अपना कर्तव्य और दायित्व समझते है। इतना बड़ा प्रदूषण हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है आप आंकड़ा उठाकर देख लिजिये गुगल में सर्च कर लिजिये कि कितने वर्षा में कितने लोगो ने सड़को पर जान गवाई है इसका प्रमुख कारण है बेतरतीब उद्योग औन निरंत हम जान गवा रहे है। संविधान में हमे स्वतंत्रतापूर्वक निर्भय होकर जीने का अधिकार दिया है परन्तु जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन पुलिस के दण्डके के बल पर दादागीरी से जनसुनवाई करा रही है और इस जनसुनवाई को अग्रेसित कर रही है उन भ्रष्ट लोगो को जो पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब ई.आई.ए. बनता है तो उस ई.आई.ए. के जो धरातल पर बना है, नहीं बना है उसमे जो सैम्पल लिया गया है उसके लिये प्रावधान में प्रावधानित है 14 सितम्बर 2006 के प्रावधान में वो प्रावधानित है कि जहा से जिस कंपनी द्वारा ई.आई.ए. के लिये जल, वायु और मिट्टी का

सैम्पल लेंगे वहा उसका पंचनामा करेंगे जो अभी तक किसी भी जनसुनवाई में नहीं है। ऐसा क्यों? क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी से मेरा सादर निवेदन है कि पीठासीन अधिकारी महोदय सिर्फ कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं इन्हे कानून का ज्ञान नहीं है पर्यावरण से संबंधित ना पढ़ने की कोई इच्छा भी है और दावा भी नहीं कर सकते की मैं कंडिकावार जानता हूँ। आप तो जानकार है आप वो कंपनी जिसने यह रिपोर्ट तैयार की है उसका आधार कितना झुठा है, कितना मिथ्या है। आपका एक लाईन अगर लिख कर के चले जाये कि ये ई. आई.ए. रिपोर्ट पुरी तरह से फाल्स है अगर जिस संबंधित उद्योग में उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में 43 गांव है उसमें केवल 5-7 पंचायतों में आपका ये जो भी तैयार किये है वो गया है तो बाकी गांव वाले तो वंचित रह गये, उन्हे कौन बतायेगा और 43 के 43 गांव में मुनादी नही हुई है, मुनादी के लिये चलिये मैं पर्यावरण अधिकारी महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे इस विधिक परंपरा को प्रारंभ किये है उसके लिये वो धन्यवाद के पात्र है। इसी तरह हर बिन्दु पर वो जो कानून बना है उसका परिपालन हो और अगर नहीं हो रहा है तो माननीय वर्मा जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है हम अपनी जीवन की रक्षा के लिये यहा पर खड़े हैं। हमे इस उद्योग से ना दुशमनी है ना दोस्ती है लेकिन नियमों के तहत होता तो ऐसे विरोध हम नहीं करते। अगर वास्तव में पर्यावरण मंत्रालय यहा धरातल में यहा की पर्यावरणीय स्थिति का आंकलन रिपोर्ट को पब्लिक में जाहिर करती तो हम रेड जोन से बहु आगे पहुंच चुके है है 10 वर्ष पहले और पर्यावरण अधिकारी महोदय जानते है कि रेड जोन का मतलब क्या होता है। रेड जोन का मतलब होता है कि जब तक वहा कि पर्यावरणीय स्थिति नियंत्रित ना हो जाये तब तक किसी भी कंपनी को विस्तार या नई कंपनी के लिये कोई भी जनसुनवाई या उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करना संविधान के विपरीत है, मानव जनजीवन के विपरीत है। जैव मंडल में जीतने जीव जन्तु है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। ऐसी परिस्थितियों में जनसुनवाईयां हो रही है, जिला परिषद को कापी नही है, निगम परिषद को कापी नही है और है तो पावती बता दीजिये आप। घरघोड़ा तहसील में वहा जो नगर पंचायत है वहा के सी.ओ. के पास कापी है तो घरघोड़ा का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस में कौन-कौन से ग्रामपंचायत और नगर पंचायत आते है उस पर विधिवत इस जनसुनवाई की सूचना, उसकी ई.आई.ए. रिपोर्ट पहुंचना चाहिए। क्या यहा गुंडे बैठाये गये है, यहा सबका आई.डी. है क्या जैसे उम्र के बारे मे पुछताछ हो रही है जो दादागिरी पूर्वक गेट में अभी एक आदमी बोलता है तु नहीं जायेगा, मै तेरे को देख रहा हूँ कौन है वो। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे आपने एलाउ किया है। अब आने वाली जनसुनवाईयों में आप उस गेट में गेटपास जारी करीये कि ये कितने बजे कौन सा नंबर का आदमी पहुंच रहा है वो किस नंबर पे आकर देगा मैं कितने बजे आया हूँ इसे आप प्रभाणीत नहीं कर पायेंगे। क्योंकि मैं पुलिस वालो से, अपने मित्रों से कितना देर चर्चा किया हूँ ये नहीं जानते मजिस्ट्रेड लोग। लेकिन न्याय नितिसंगत होना चाहिए, न्याय आप उस बिन्दु पर करे जिस पर आपकी जानकारी हो। इस कंपनी की ई.आई.ए. रिपोर्ट में जो 43 गांव है कितने हैण्डपंप है आप अभी बताईये, कितने तालाब है उसको बताईये, कितने कुवे है उसको बताईये, कितने नाले है उसकी संख्या होनी चाहिए, कितना प्राकृतिक जल स्रोत, कितना नदी, क्यों नही लिखा गया है। अगर नहीं लिखा गया है तो पर्यावरण अधिकारी महोदय आप समझ रहे है इस जानकारी को, माननीय पर्यावरण मंत्रालय को राज्य क्षेत्रीय पर्यावरण विभाग को और जिले के पर्यावरण विभाग के साथ जिला प्रशासन और भारत के पुरे जनता को गुमराह किया गया है, धोखा किया गया है। एक सुनियोजित

षडयंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर सब को गुमराह करने का, षडयंत्र करने का चार सौ बीसी का जो अपराध है वो इस कंपनी के मालिकान और वो कंसलटेंट कंपनी कर रहे हैं और पीठासीन अधिकारी महोदय उसमे संलिप्त हैं, हमारे कलेक्टर साहब की आरोपी है। रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना में मरने वालों में से पुरे भारत में सबसे ज्यादा है, और दूसरे जिले में ऐसे मौते क्यों नहीं होती क्योंकि यहा क्षमता से अधिक उद्योगो को गैर कानुनी ढंग से थोपा जा रहा है और उसमें सहयोगी प्रशासन के लोग, हमारे चुने हेये प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीमण्डल के लोग उनकी सामुहिक सहभागिता है वो इन सुनियोजित हत्याओं के आरोपी है आज वो नजर नहीं आते, जनता आ रही है, समर्थन बोलना नहीं जान रही है लेकिन यहा तक आ रही है। जिन लोगो को जानकारी होना चाहिए उन लोगो को जानकारी नहीं है। इस गर्मी में छोटे बच्चो को लेकर यहा तक आ रही है कौन सा ऐसा मंत्र है। आज पीठासीन अधिकारी का कलम नहीं चलता है मुंह नहीं चलता है और चलता है तो सिर्फ भय स्थापित करने के लिये। अगर कोविड के नियम का पालन होता तो जनसुनवाई नहीं होती, महामारी अधिनियम में किसी भी सामाजिक समारोह में 200 लोगो की उपस्थिति है तो 200 से ज्यादा पुलिस वाले है फिर कैसा निर्णय क्या आदरणीय कलेक्टर महोदय इस जिले का अपनी तानासाही का शिकार बना रहे है और अपनी छबी को साफ रखने के लिये नाली का कचरा उठा करके नाटक कर रहे है ऐसा नाटक नहीं चलेगा। आप जिन सेवा शर्तो पे दस्तखत करके आये है उन सेवा शर्तो को याद करीये कि आपकी नियुक्ति किस लिये की गई है। कानून का पालन, संविधान की रक्षा, नागरिको का सम्मान आपका नैतिक कर्तव्य है जिससे आप सब विमुख हो चुके है और ऐसी स्थिति में अगर ये जनसुनवाई आगे चलती है और हम उसे रोकते नहीं है तो हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते है मुझे जो संविधान ने अधिकार दिया है इस संविधान प्रदत्त अधिकारों के लिये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम अपनी लड़ाई लड़ सकते है। मैं नागरिक होने के चलते इस अवैधानिक जनसुनवाई का विरोध कर रहा हूँ और इसे बंद करने के लिये मैं क्योंकि जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे है। और ये जघन्य अपराध हो रहा है, पुलिस विभाग के जितने आला अधिकारी है, कर्मचारी है मैं उनसे सादर निवेदन करता हूँ कि अगर प्रशासन मौन हो जाये, कानून का उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करे ऐसी स्थिति में सेना को, पुलिस को अपने बल का उपयोग करना चाहिये, अपने कर्तव्य का अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसका विरोध करने के लिये, इस जनसुनवाई को निरस्त करने के लिये यही मैं धरने पर बैठता हूँ।

513. सरिता, - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
514. पविता, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
515. आरती, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
516. रूकमणी, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
517. सुनिता, उज्जवलपुर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
518. काजल, उज्जवलपुर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
519. रीता, उज्जवलपुर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
520. सुमित्रा, उज्जवलपुर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

521. गोमति, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
522. सोमती, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
523. राधेश्याम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
524. मुकेशकुमार चौहान – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
525. बुदुराम, तराईमाल –
526. सुरजीत, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
527. समीर साहू, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
528. जीवन साहू, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
529. श्यामकुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
530. शरद कुमार – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
531. बोनी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
532. रौतन, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
533. चन्द्रवार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
534. कर्मवीर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
535. दादुलाल, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
536. सुनील कुमार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
537. पिन्दु, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
538. बबलु, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
539. सोनी, उज्जलपुर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
540. केशव, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
541. देवकुमार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
542. मनीष, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
543. किशन – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
544. कनक, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
545. धरमलाल, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
546. लोकनाथ यादव, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
547. गीतालाल साहू, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
548. हर्ष लकड़ा, पूंजीपथरा – मैं कंपनी का पुरा-पुरा विरोध करता हूँ। यहां के अगल-बगल के सारे पेड़ देखियें, सारी कंपनी से इतना प्रदूषण हो रहा है बारीश से भी ये पेड़ के पत्ते साफ नहीं होते। पेड़ के हरे पत्ते, लाल-पीले हो रहे। सड़क के किनारे चल नहीं सकते जब तक टैंकर से पानी छिड़काव न हों। आप गाड़ी में आते है आपको पता नहीं चलेगा। पूंजीपथरा में जाकर देखिये वहां न जमीन दिखेगी न लोग। एक फीट की डस्ट की घरत जमी हुई है। कंपनी के आने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि मेरी पुरी जमीन ले गई ओ. पी. जिंदल मेरे जमीन पे बना है। आज जमीन के पेपर तो है पर जमीन नहीं है। यहां इतने प्रदूषण होने के

बावजूद भी कंपनी यहां प्लांट विस्तार के लिये परमिशन कैसे दे रही है। कंपनी से फायदा न हो तो चलेगा लेकिन नुकाशान हो रही है। हमारा कोई डेब्लप नहीं हो रहा पीछे जाते जा रहे हैं। पेड़ तो कितना भी प्रदूषण हो जी जायेगें लेकिन फसल का तो लाईफ बहुत होती है। जनसुनवाई पुरी फर्जी है। गेट पर नाम नोट होता है, तो कोई अपना पता सारंगढ़ बताता है तो गार्ड लोग नजदीक का पता बताओं बोलते हैं। सरकार क्यों ऐसा चाहती है कि जीते-जीते इस जगह को नरक बना रही है। कंपनी ने सिर्फ हमारा नुकशान ही किया है।

549. सुनील सिदार – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
550. ओमकार तिवारी, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। कंपनी बहुत से युवा जो भटक रहे हैं उन्हें रोजगार दिया है। आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं उन्हें सहयोग किया है। छोटे कर्मचारी के घर में सुख-दुख में एन.आर. इस्पात खड़े होते हैं।
551. सुरज कुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
552. विजय – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
553. विजय मुण्डा – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
554. प्रकाश दास, –
555. ओमप्रकाश तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
556. मीना, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
557. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
558. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – इस लोक सुनवाई मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, तुमीडीह की इस पर्यावरणीय जनसुनवाई में इन बिन्दुओं पे बात रखते हुये कुछ आपका पर्यावरणीय मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जिस तरीके पे यहा हालात है जिस तरीके के ये ई.आई.ए. कंपनी ने सरकार के सामने जमा किया है और जिस तरीके से यहा पर्यावरणीय हालात है उस हालात में किस तरीके से हम किसी कंपनी की, नई कंपनी की स्थापना या उसको विस्तार दे इसपे स्थानिय जनमत संग्रह किया जा रहा है जो तमाम तरीके अपनाये जा रहे हैं इस जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस जनसुनवाई को मैं आपसे तत्काल निरस्त कर नये एस.आई.ए. या ई.आई.ए. और पेशा कानून को उपयोग करते हुये ग्रामसभा कर नई जनसुनवाई करने की मांग करती हूँ। इस जनसुनवाई का बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है इस ई.आई.ए. को अगर देखे तो समरी रिपोर्ट हिन्दी में दिया गया है जिसको हम एक लाइन में देख कर लगे हैं कि इस जनसुनवाई की ई.आई.ए. जमा की गई है वह वास्तव में यह कॉपी पेस्ट है। इसका ई.आई.ए., एस.आई.ए. कंपनी के द्वारा किसी संस्था के द्वारा किसी भी संस्थागत तरीके से नहीं बनाया गया है। तो जब पुरी प्रक्रिया अगर जनसुनवाई की मूल रूप से ई.आई.ए. बनाने के आधार पर जनसुनवाई होनी है वो ई.आई.ए. ही पीछले 10 साल के ई.आई.ए. के आधार पर कापी पेस्ट, पुराने डेटा के आधार पर ये रखा गया है तो इस जनसुनवाई का किसी भी किसम का करवाना कही ना कही हम जैसे नागरिकों के टैक्स से लिये गये पैसों का सीधा-सीधा दुरुपयोग है। पिछले 03 दिन से यहा पंडाल लगा है अगले 10 और 12 तक यह पंडाल लगी रहेगी और इसका पैसा कहा से आ रहा है सरकार के पास यह भी काफी चिंतनीय बात है कि किस तरीके से जनता के पैसों को, इस तरीके के जनसुनवायियों को, निराधार

जनसुनवाईयों को आप आयोजित कर रहे हैं इसमें हमारे पैसे कितने हैं ये भी एक बड़ा विषय है ऐसे जनसुनवाईयों में हमारा जिला बल कितना लग रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और कितना यहा खाना बट रहा है किसके पैसे से बट रहा है, जिला प्रशासन अपने तमाम कामों को तमाम क्षेत्र के जो प्रशासनिक कार्य हैं स्थगित करके इन जनसुनवाईयों को कर रहे हैं कही ना कही न्याय की आस में जो लोग बैठे हुये हैं उनकी भावनाओं का, उनकी अधिकारों का सीधा-सीधा उल्लंघन है जब अगर आपका ई.आई.ए. गलत है। इस ई.आई.ए. को पुरी तरह कापी पेस्ट किया गया है और यह स्पष्ट लिखा है कि इनका जो अध्ययन है वो 2019 के तहत किया गया है और आज 2021 है। अगर आंकड़ों में देखेंगे तो किसी भी अध्ययन के तीन साल से एक दिन भी अगर उपर होता है तो आंकड़े दुबारा हमें अध्ययन स्थल से लाना होता है। यह पुरे पर्यावरणीय नियमों के साथ साथ स्थानिय प्रभावित है उनके अधिकारों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। यहा जो मेसर्स एन. आर. स्टील एण्ड फेरो एलायज को आयोजित किया जा रहा है वह किन्द्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय के 14 सितम्बर 2006 के तहत किसी भी कंपनी के आवेदन करने के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाईयों का किया जाना चाहिए इसके बाद इसका पूर्ण रूप से अधिकार जो है वो राज्य सरकार को चला जाता है ना कि जिला प्रशासन के उपर ये हक है आपको तो अधिकार ही नहीं है कि इस जनसुनवाई को आयोजित कराने का क्योंकि इनका जो आवेदन है वो 2020 में लगा है अगर आप यह ई.आई.ए. देखें और यह 45 दिनों से उपर होने के कारण ऐसे जनसुनवाईयों का आयोजन कराना इन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं जो तीन वर्ष पुराने का डेटा का उपयोग किया जा रहा है ई.आई.ए. में, अगर आप देखें तो इन्होंने जनगणना का डेटा लिया है वो 2011 का लिया है आज हम 2021 में हैं वर्तमान में उन्होंने सर्वे करना उचित नहीं समझा है। इसमें जो आदिवासी जनसंख्या है उसको आप अगर देखें तो सबसे बड़ी जनसंख्या है जो पेशा कानून है और पेशा कानून को लागू किया है उस आधार को देखते हुये भी कम से कम ग्रामसभा से पेशा के तहत उन प्रभावित 10 गांवों की अनुमति लेना चाहिए। आपने पूंजीपथरा के जितने भी एरिया है 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, जितनी भी आंगनबाड़ीया है, जितनी भी गर्भवती है, जितने भी शिशुवती है उसका डेटा आपने नहीं डाला है। ना ही माध्यमिक शाला, ना ही प्राईमरी शाला, ना ही हाई स्कूल, ना ही ओ.पी. जिंदल इंजीनियरिंग कॉलेज। जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे शिक्षा संस्थान है वहा नये उद्योग के स्थापना या विस्तार का कोई औचित्य ही नहीं रहा जाता ह या तो आप कॉलेज बाहर कर दिजिये या उद्योग बाहर कर दिजिये। हमें कोई व्यक्तिगत कंपनी से कोई दुशमनी नहीं है मुद्दा है हमारे व्यवस्था का, सरकारी नियम कायदे कानून का, हमारे युवा बच्चों का क्या होगा उनका शारीरिक टेस्ट क्या किया गया है। इसमें पूंजीपथरा थाना गायब है क्या वहा के पुलिस कर्मचारि जो है उनका हेल्थ चेकअप हुआ है, नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्या पुलिस कर्मचारी का जीवन, जीवन नहीं है वहीं पर आप देखेंगे की गोरवानी के पशु चिकित्सालय जितने भी आपके सरकारी आफिस है वहा का डेटा ई.आई.ए. में कलेक्ट नहीं किया गया है। आप देखेंगे तो झींगोल से लेकर आमाघाट तक समुदायिक वनाधिकार पट्टा का रिजर्व फारेस्ट है जहा हाथी वाच टावर और फैंसिंग के लिये फारेस्ट विभाग ने लगा रखा है वो डेट इस ई.आई.ए. में नहीं है। क्यों इस फर्जी आंकड़े और जनसुनवाई के मजबुर है सरकार सीधा हाथ खड़ा करते यह राज्य सरकार का बात है 45 दिवस के उपर ये आलरेडी हो चुका है। ये भूगर्भ जल की बात करते हैं उपयोग कहा से करेंगे। हम ई.आई.ए. की बात करते हैं इन्होंने मृदा

की रसायनिक विशेषता कहा है इसमें पी.एच. मिट्टी के क्षारीय और अम्लिय प्रकृति का महत्वपूर्ण पैरामीटर की सूचक का बात कही है जिसमें इन्होंने कहा है यहा की मृदा की इन्होंने 08 नमुने लिये और आठ नमुने में इन्हे लगा कि यहा उद्योग का विस्तार हो सकता है इन्होंने ये फर्जी डेटा डाला है यहा घास भी नहीं उग रहा है इसका बड़ा कारण है कि कंपनी के पास फ्लाइ ऐश का डाईक नहीं है सिवाय जिंदल वो भी एक है जो सलिहाभाठा में है। यहा आस-पास किसी भी कंपनी के पास फ्लाइ ऐश डाईक नहीं है। ये अपने फ्लाइ ऐश जंगलो में डाल रहे है, नदियों में डाल रहे है और पुरा बह के बारिस में जिस तरह की हवा गर्मी में चल रही है फ्लाइ ऐश उड़ रहा है और लोगो के हेल्थ में असर हो रहा है चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे महिला के पेट में पल रहा बच्चा हो, चाहे महिला के पेट के बाहर का बच्चा हो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ है तो क्यों नहीं यहा के वायु की गुणवत्ता का जो डेटा है वो तीन साल पुराना बता रहे है आज का नया डेटा इसमें नहीं है। इस तरह की कापी पेस्ट होती है तो हमे भी बात रखने में दिक्कत होती है। इन्होंने झाड़ियो की 95 प्रकार के प्रजातियों की बात बताई है लेकिन यहा 6565 प्रजातियां है अध्ययन में मेरे से कभी ले लिया करीये और 143 वनस्पतियों के प्रजातियों को देखा आपको पता होगा नायडु साहब छत्तीसगढ़िया नहीं है, साउथ से है कई ऐसी वनस्पतिया है जो मैं चेन्नई या उटी के जंगल में जाकर पता नहीं कर सकती हूँ वहा के स्थानिय लोग उसको पहचानते होंगे। आपको बता दूँ कि यहा के 10 किलोमीटर के रडियस में बिरहोर परिवार रहते है उनसे क्या उन्होने डेटा लिया नहीं लिये, उनके खाद्य श्रंखला की बात है अति पिछडी अनुसुचित जनजाति के आते है वो लोग वो डेटा उसमें गायब है, उनके खाद्य सुरक्षा की बात है। कही भी केलो डेम परियोजना नहीं है इसके अंतर्गत। अगर जिस भी ई.आई.ए. में अनुसुचित पेशा क्षेत्र अगर नहीं लिखा है अगर वो अनुसुचित पेशा के क्षेत्र की बात है तो वह स्वतः ही सम्पूर्ण दस्तावेज निरस्त माना जायेगा यहा भारत सरकार का नियम कहता है। अगर हम देखे तो सबसे ज्यादा अनुसुचित जनजाती संख्या है उनकी राय ग्रामसभा के तहत लेना था इसमें जिसमें एक तिहाई महिलाओं का लेना था वो तमाम चिजे इसमें नहीं डाली गई है। इन्होने केवल 31 गांव में पक्की सड़के जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो इसमें बताया है इसके अलावा कुछ भी नही बताये है। ये बता रहे है कि 45 प्रतिशत कृषि भूमि के तहत आता है जब 45 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि की श्रेणी में आता है तो ऐसे उद्योगो, ऐसे कंपनियो, ऐसे खदानों को अनुमति देना चाहिए। ये लिखते है कि यहा के आदिवासी देशी मदिरा के लिये महुआ का संग्रह करते है, महुआ का संग्रह नायडु साहब के समझ में केवल मदिरा के लिये होता है जबकि यहा महुआ पुजनिय है महुआ यहा के एनिमिया से बचने का सबसे बड़ा खाद्य चिज है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि आंगनबाड़ियो में महुआ खरीद कर लड्डु बनाकर दिया जाना चाहिए वो मूल आहार है आदिवासी परिक्षेत्र का। और आपका उस महुआ का मतलब है शराब पीने तक का। आपने यहा के पेय जल व्यवस्था, खेल व्यवस्था, परिवहन सुविधा, शिक्षा की बात रखी है वो किसी को दिखाने लायक नहीं है। आस पास के गावों में अधिकांससुता दाताओ को परियोजना स्थल के बारे में जानकारी थी परन्तु वे परियोजना गतिविधि के बारे में अनजान थे। जब कभी परियोजना उस प्रभावित क्षेत्र में होगा क्षेत्र के लोगो को ही जातकारी नही होगी वो अपना मत किस आधार पे देंगे। अगर इनके ई.आई.ए. में देखे तो ये कहते है कि भूगर्भ जल का उपयोग करेंगे, हमारे यहा भूगर्भ जल की स्थिति देखे जो कंपनिया यहा बैठेंगी या स्थापित किया जायेगा ये कहते है की टोस अपशिष्ट वाहने से

स्थल पर किया जायेगा। ये कहते हैं कि हरित पट्टिका विकसीत किया जायेगा आपको पता होगा कि सर 03 मार्च को भी एक जनसुनवाई हुई थी वो विस्तार की थी फिछले 03 मार्च तक इनकी हरित पट्टिका नहीं बनी है जैसे ही ये स्थापित होगा भूमि अधिग्रहण करके जिला प्रशासन उन्हें देगा तब हरित पट्टिका बनाई जायेगी। ये नौकरी की बात करते हैं तो ये स्थानिय लोगो को जो तकनीकी रूप से जानकार होंगे अलग राज्य से होंगे, स्थानिय होंगे नहीं पता 360 दंगे और 500 लोगो को ये रोजगार देने की बात कहे हैं लेकिन इसमें किसी महिला को ठोस स्थाई रोजगार की बात नहीं कही गई है। यहा का मूल रोजगार मजदुरी रहा है, कृषि रहा है, वनोपज संग्रहण का रहा है इसके अलावा वो पशुपालन के साथ आर्थिक स्थिति के रूप में भी आदिवासी महिला बेरोजगार नहीं थी लेकिन ऐसे परियोजनाओं को विस्तार देने से पहले यहा के सामाजिक, आर्थिक इनत माम बिन्दुओं को देखते ही किसी भी परियोजना को विस्तार या नया जगह देने के लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इसमें विचार करें। वहीं पे जिला पर्यावरण अधिकारी और जिला प्रशासन इसको पुरी तरह इमानदारी के साथ, निगरानी के साथ इन चिजो को कर रहे हैं। इसको गहनता से पढ़ते हुये नोट करे कि यह ई.आई.ए. जो है 10 साल पुरानी है और ये बिन्दु लिखे हैं कि पर्यावरण का सामान्य संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग तो इनकी परियोजना के, इनके कालोनियों में पानी कहा से आयेगा क्या केलो से आयेगा, या महानदी से आयेगा ये पानी कहा से लायेंगे और खराब पानी को ये कहा खतम करेंगे, अपशिष्ट नियंत्रण उपायों को ये किस तरह से रखेंगे और इसके लिये कौन सा टीम होगा जो मूल्यांकन और निगरानी करेगा और इनकी रिपोर्ट तैयार करेगा इनत माम मुद्दो पे हम देखे तो वास्तव में यह जनसुनवाई स्थगित करके पुनः इसका अध्ययन, पुनः इसका परमिशन विधिवत अगर इस जनसुनवाई को आयोजित किया जाये तो सायद हम अपने औद्योगिक रोजगार के साथ, पर्यावरण के साथ, लोगो के हितो के साथ हम बेहतर तालमेल के साथ हम कर पायेंगे। मुझे नहीं लगता है कि पुरुष भाई लोगो को ये परियोजना स्थल के बारे में ये क्या करेगा, क्या पर्यावरण नुकशान होगा, कितने पेड़ कटेंगे, कितने पानी का उपयोग होगा, धुल कहा होगा, प्लाई ऐश कहा रखेंगे, प्लाई ऐश का निपटान कहा होगा ये तमाम सवाल अभी भी हमारी महिला लोगो के बीच में है। अतः हम कहते हैं कि जनसुनवाई स्थगित होना चाहिए और पूर्ण रूप से हम इसका विरोध करते हैं। पीठासीन अधिकारी महोदय आदेश कीजिए तथा अध्ययन करके फिर से यह जनसुनवाई को आयोजित कराया जाये।

559. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ - ई.आई.ए. के पहले एक बुनियादी सवाल है कि हम जो जनसुनवाईयों देख रहे हैं और यह पुलिस बल की तैनाती देखे, कभी कोई इस तरीके की घटना होती नहीं है। अगर किसी कंपनी की जनसुनवाई होती है अगर कंपनी टेंट देता है, लोगो के आने-जाने की व्यवस्था करता है, माईक देता है तो मेरा एक सुझाव है कि पुलिस के विभिन्न पदो के अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी में लगाये जाते हैं कम से कम इनकी एक दिन की तन्खा जो भी बनती होगी अलग-अलग पदो के हिसाब से ये पैसा माह के अंत में वेतन के साथ जुडकर मिलना चाहिए और जो कि पैसा पुलिस वेलफेयर में चले जाये अगर पुलिस के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो हम उनके परिवार को आर्थिक मदद दे सकते हैं और अगर पैसे के आधार पर विभागो के डिमांड अगर पुलिस विभाग से होगी तो मुझे लगता है कि एक तरफ जो कोविड-19 का प्रकोप है यहा, प्रशासन हमारे शादी, ब्याह, सुख-दुख में 200 लोगो की हमें अनुमति देता

है और दूसरी बात हम देखते हैं कि इन जनसुनवाईयों में 20 250, 300 हमारे पुलिस के विभिन्न पद के लोग चाहे वो नौजवान हो, हवलदार हो, सब इस्पेक्टर हो, सी.एस.पी. हो, डी.एस.पी. हो सभी लोग बैठे हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी पुलिस की व्यवस्था की यहा जरूरत है तो कम से कम इसके लिये भी व्यवस्था हो जब भी कोई कंपनी की जनसुनवाई हो उसकी डिमांड कितनी है और उस डिमांड के आधार पर कंपनी अपना पैसा पुलिस विभाग में जमा करे उसके बाद उन जनसुनवाईयों में उनकी ड्यूटी लगाई जाये। जो आज की जनसुनवाई हो रही है मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड। परसो मैं एक बात उठाया था और कल कुछ और अध्ययन किया और जो ई.आई.ए. के आंकड़े हैं और कई लोगो ने कहा की एक टीम आई थी सेन्ट्रल की जिनको अलग-अलग जगहो पर घुमा दिया गया एक सर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड भोपाल की एक टीम आई थी 2014 में उस समय के तात्कालिन कलेक्टर से मुकेश बंसल साहब हमने काफी अनुरोध किया था पत्र के आधार पर टीम बुलाई गई थी और गुगल में सर्च कीजिए 15 मई 2014 की नई दूनिया की न्यूज कटिंग भी है इन्होने जब रायगढ़ जिले का सैम्पलिंग किया एस.पी.एम. की मानक की जो जॉच की वो जॉच आर.ओ. कार्यालय 516 अधिकतम, न्यूनतम 400, होटल श्रेष्ठा वहा उन्होने जॉच किया अधिकतम 601, न्यूनतम 400, औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा जिसके लिये हम लोग जनसुनवाई कर रहे हैं अधिकतम 1130, न्यूनतम 400, जिंदल स्टील 298 और 400, तराईमाल जहा हम जनसुनवाई कर रहे हैं यहा 1109 अधिकतम और न्यूनतम 400 ये आपके विभाग की रिपोर्ट है मैं आज एक झोला किताब लेकर आया हूँ करीब 1800 पन्ने, अगर आप अनुमती दे ते कम से कम मैं दो दिन इन मुद्दो पे बोल सकता हूँ। मैं परसो भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ हमारे कटारा साब है उनको भी भारत सरकार को एक पत्र लिखना चाहिए और एन.जी.टी. का आदेश है 19 नवम्बर 2020 जिसे साफ-साफ कहा गया है कि रायगढ़ जिले के अंदर जब तक जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का अध्ययन नहीं हो जाता तब तक ना तो रायगढ़ जिले में नये उद्योग और खदान स्थापित किये जा सकते हैं और ना तो पुराने उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है इसके बाद भी जनसुनवाईयां हो रही हैं और जो विकास के पैमाने हैं आखिर विकास के पैमाने किसके लिये होते हैं, विकास का पैमाना लोगो के लिये होता है। एक क्षेत्र है, एक ही आदमी ई.आई.ए. बनाता है और जो केवल प्रदूषण के मापक है 22 का 28, 28 का 29 केवल वो डाटा को परिवर्तन करता है और बाकी की चारो ई.आई.ए. आप देख लिये एक जैसी है। ये सैम्पलिंग किये होंगे लेकिन आपको बता दू कि इन 30 गावों में मेरे को 33 साल से काम करते हो गया अगर किसी गांव में किसी भी विभाग का अगर बाहर से अधिकारी, कर्मचारी आता है उसकी जानकारी विभागो को होती होगी ना, मुझे हो जाती है। आपके द्वारा वास्तव में जो डाटा डाले गये हैं की हमने मृदा का अध्ययन किया, पानी का हमने सैम्पलिंग किया और बताईये जिस गांव में आपने अध्ययन किया सरपंच से मिले, उपसरपंच से मिले, चौकीदार से मिले, गांव के जो पढ़े-लिखे हैं लोग हैं उनसे मुलाकात हुई तो फिर आप सैम्पलिंग कहा ले लिये और कैसी सैम्पलिंग हम भी सैम्पलिंग लेते हैं केलो नदी का लेते हैं, कोल माईन्स एरिया का लेते हैं, एयर पाल्युशन का लेते हैं अगर मोबाईल में आप बोले तो सैम्पलिंग लेकर बताता हूँ अभी जहा खड़ा हु वहा कितना प्रदूषण है तो जो आपके आंकड़े हैं ये आंकड़ो का खेल है ये वास्तव में लोगो के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आपने लोगो का हेल्थ परीक्षण करवाया क्या, जब आप ई.आई.ए. बनाते हैं तो ई.आई.ए. बनाने के पहले सोसल इंपेक्ट असिसमेंट बनानी है, क्या किसी आंगनबाड़ी के बच्चों का सैम्पलिंग

लिया क्या, क्या प्राईमरी में पढ़ने वाले बच्चों का सैम्पलिंग लिया क्या, क्या आपने मिडिल और हायर सेकेंडरी वाले बच्चों का सैम्पलिंग लिया और आपके ई.आई.ए. में दिखा दीजिए मेरे को कहा है जेकआई.टी. कॉलेज आपका आपके ई.आई.ए. में लिखा है क्या। उन्होंने कहा ग्रामसभा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। नायडु साहब बड़े हैं या छत्तीसगढ़ की अनुसुइयां उइके जो राज्यपाल हैं वो बड़ी हैं उनकी आपको मैं एक हप्ते पहले की न्यूज दे सकता हूँ की पॉचवी अनुसुची क्षेत्र में बिना ग्रामसभा के अनुमति के कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। या तो आपकी बात झुठ बोल रही होगी या कानून झुठ बोल रहा होगा और जब ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते हैं तो समता जजमेंट एक मालुम होगा आंध्रा में मेरे दोस्त हैं जिनकी समता संस्था में एक हप्ते 10 दिन पहले था, इन्ही मुद्दों पर मेरी बात हो रही थी तो क्या वह झुठा है अगर 5वीं अनुसुची के नियम लागू नहीं होते नायडु साहब के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट का नियमगिरी का निर्णय आपके आस है देख लीजिये नियमगिरी के मामले में क्या हुआ है नियमगिरी ने इसलिये प्रोजेक्ट की जनसुनवाई को निरस्त किया कि जो पहाड़ के ऊपर केवल 5 परिवार थे उनके ग्रामसभा और उनसे अनुमति नहीं लिया गया था और जब वह सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा अगर आपको जनसुनवाई करवानी है तो जाईये उन 5 परिवार के पास उनकी ग्रामसभा करीये और उन्होंने कहा की हमारा पहाड़ के ऊपर जीवन है इसलिये हम इस पहाड़ पर लोहा खदान की अनुमति नहीं देते ग्रामसभा में कहा गया और इस आधार पर उनकी परियोजना रद्द हो गई। ये जानते हैं सब उडिसा का नियमगिरी है और आप बोलते हैं की ग्रामसभा में नहीं होता और ग्रामसभा भी मजाक बन कर रह गई है। कल मेरे पास गेरवानी के कुछ युवाओं का फोन आया साढ़े 10 बजे रात को। आपकी जो ई.आई.ए. गई है उसको कुछ युवा लोग देखने के लिये सरपंच, सचिव के पास मांगने के लिये गये थे, सरपंच ने ई.आई.ए. नहीं दिया तो किस आधार पर जनसुनवाई जो हम बार-बार बोलते हैं कि आपकी ई.आई.ए. पर उसका प्रचार-प्रसार हो गोव के लोगों को सही-सही बताया जाये कि आपके क्षेत्र में ये उद्योग स्थापित हो रहा है और उससे मानव जीवन पर क्या दूषप्रभाव पड़ेगा इस पर बात करनी है ना। मेरे से पहले कुछ 400-500 लोग आ गये होंगे जो कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लो समर्पण करते हैं, कुछ लोग खबरदार करते हैं ऐसे बोल कर गये ना और कुछ लोग मेरे पिदे बैठे हैं वो निश्चित तौर पर बोलेंगे। आपने 147 जंगल की प्रजाति बताया है मेरे पास 450 पन्ने की वन विभाग की सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी यही है आप देख लीजिये उसमें कितनी प्रजातियां हैं जहां आपने कहा है कि जंगली जानवर नहीं पाये जाते साढ़े 04 करोड़ रुपये आपके उद्योग के 1 किलोमीटर की रेडियस में हाथियों के अवलोकन का वहा बड़े-बड़े टावर बनाये गये हैं देखकर आईये। 16 लाख रुपये तराईमाल, पड़कीपहरी, झिंगोल में हाथी भगाने के लिये खर्च किया गया तो आप बोल दीजिए वन विभाग वाले चोर हैं, भष्ट हैं मैं तो बोल रहा हूँ अगर 16 लाख हाथियों को भगाने के लिये सामारूमा पंचायत के अंदर अगर खर्चा किया गया है तो ये जो भ्रष्टाचार है उनक ऊपर एफ.आई.आर. होनी चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए या तो आपकी ई.आई.ए. को गलत साबित करना चाहिए ये दस्तावेज है। सूचना के अधिकार की सब पर सील लगी हुई है ये देख लीजिये तो फिर ये दस्तावेज आपके झुठ बोल रहे हैं। आपने बिलासपुर डेम का सैम्पलिंग लिया क्या आपके उद्योग से 500 मीटर में बिलासपुर डेम है, जिसमें तुमीडीह, छर्राटांगर, डोकरमुड़ा गांव के लोग पानी निस्तार करते हैं उसका सैम्पल है, आपने राबो डेम का सैम्पल लिया, केलो डेम

का आपने 10 किलोमीटर के रेडियस में सैम्पल लिया और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? 2010 में नलवा कंपनी की जनसुनवाई वाली ई.आई.ए. बनी थी जिसकी जनसुनवाई हुई थी वो ई.आई.ए. आज तक चल रही है और नायडु साहब से ने यहा कई ई.आई.ए.बनाये है तो क्या हम तराईमाल, पूंजीपथर, सामारूमा, गेरवानी, लाखा के लोगो की जिंदगी खतरे में डाल दे। आप बोल रहे है कि यहा ट्रांसपोटिंग ट्रको से होगा तो फिर दुर्घटना का मामला आप क्यों नहीं डाल रहे है, क्राईम का मामला आप क्यों नहीं डाल रहे है हमारे यहा कई चौकिया खुल गई अगर क्राईम नहीं बडती तो चौकिया क्यों खुलती तो क्राईम तो बढा है ना और क्राईम करने वाले कौन है क्राईम का आंकड़ा देखे तो स्थानिय लोग क्राईम में अगर 20 प्रतिशत होंगे तो 80 प्रतिशत क्राईम करने वाले अभी खरसिया से बच्चा को उठाकर भागने वाला आदमी था वो झारखण्ड का था पुलिस की जानकारी के मुताबिक तो फिर उनके आंकड़े आपके यहा क्यों नहीं है। आपने बता दिया की यहा 36 उद्योग स्थापित है जैसा पिछले बच्चा ने पुछा की इन 43 गांव में कितने तालाब है, कितने कुआं है, कितने हैण्डपंप है और कुल गावों में गंभीर आप सराईपाली में अध्ययन किये सराईपाली गांव में ई.आई.ए. नहीं गई है, देलारी में ई.आई.ए. नहीं गई है 10 किलोमीटर के अंदर बता देता हूँ, राबो में नहीं गई है, डोकरमुड़ा में नहीं गई है, गदगांव में नहीं गई है, छरटांगर में नहीं गई है, सामारूमा में ई.आई.ए. नहीं है तो फिर ई.आई.ए. है कहा और कहा आपने ई.आई.ए. भेजा तो जब आपके पास ना पाली का अध्ययन है कि किसमें वो विस्तार करते है ना पीने के पानी का आपके पास आंकड़ा है ना आपके लोगो के स्वास्थ्य के आंकड़े है, ना तो कोई शिक्षा का आंकड़ा है तो फिर विकास किसके लिये कर रहे है। अगर उद्योग आने से विकास हुये है तो रायगढ़ के रोजगार कार्यालय में एक लाख 84 हजार पढ़े-लिखे युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता ये तो सब यहा होते, नौकरी में होते वो आंकड़े आपके पास नहीं है। अगर आप रायगढ़ जिले के लिये अध्ययन करते है तो हम भी आपको सहयोग करेंगे और सहयोग इसी तरह से करेंगे हम आंकड़े रखते है और लगभग 30 साल का रायगढ़ जिले का ऐसा तमनार, धरमजयगढ़, घरघोड़ा को कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसके आंकड़े मेरे आफिस के अलमारियों में नहीं होगा तो आप सबसे झुट बोलकर बच सकते है। हम लगभग 30 गांव का बता दुंगा कि कितने तालाब है और किस-किस गांव में कितने तालाब है, किस गांव में प्राईमरी स्कूल है, किस गांव में कितने आंगनबाडी है, किस गांव में मिडिल है, किस गांव में हायर सेकेण्ड्री है आप मेरे से पुलिये हम आपको बता देंगे। मेरा यह कहना है कि यहा के जो स्थानिय लोग है आप तो ई.आई.ए. बनाकर 10-15 लाख रूपये भुगतान लेकर चले जाओगे मैं यह कहता हूँ कि यहा के लोगो की जिंदगी खतने में मत डालिये आप। आपके ई.आई.ए. से लोग आगाह नहीं होते है कि आगे आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए। तराईमाल के जंगल के रास्ते से चलिये आप मेरे साथ मैं बताता हूँ अभी हवा कुछ देर पहले चल रहा था इस क्षेत्र में आप फोटो खिचते, पलाई ऐश और जो राखड़ निकलता है कितना ज्यादा यहा डस्ट जमा हो गया है और डस्ट केवल पेड़ो में नहीं चिपकता। पी.एम. 2.5 है क्या? पी.एम. 2.5 जो है वो दिखता नहीं है बल्कि नाक के माध्यम से वो हमारे आंतो में जाता है, हमारे पटे में जाता है, पी.एम. 10 की मात्रा आप बोलते हो 40 और 70 अभी आप मोबाईल में सर्च कर लिजिये मैं यहा खड़ा हूँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 और 70 नहीं है या तो पर्यावरण विभाग से एक सिस्टम मंगवा लिजिये लगवा लिजिये मेरा यह करने का मतलब है कि लोगो के हेल्थ के साथ आप मजाक मत कीजिए, लोगो की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिये। छत्तीसगढ़ के लोग

महुआ से केवल दारु नहीं बनाते जो पिछले वक्ता ने कहा आपको मालुम है कि इस क्षेत्र में प्रशासन एक योजना लेकर आई है कि महुआ लड्डु बनायेंगे और गर्भवति और शिशुवति महिलाओं को उनका कुपोषण दूर करने के लिये महुआ के लड्डु आंगनबाड़ी के माध्यम से दिये जायेंगे। आप आदिवासियों को बदनाम करते हैं कि लोग शराब पीते हैं, शराब के लिये केवल महुआ का उपयोग करते हैं आपको यह नहीं मालुम होगा कि महुआ एक फूल है महुआ के फूल के बाद जो फल निकलता है डोरी वो लगभग आज भी 70-80 रुपये किलो डोरी लोग फोड़कर उसे आदिवासी बेचते हैं और जो उनकी निर्भरता है वो महुआ से उनकी आर्थिक आमदनी होती है उससे बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों एवं बच्चियों के शादी पर, अपने निजी जीवन के लिये कपड़े खरीदने पर वो महुआ से खर्च करते हैं। यहा चिरोंजी निकलता था बहुत व्यापक पैमाने पर बड़े-बड़े सेठ आते थे दो किलो नमक में एक किलो चिरोंजी लेकर जाते थे, दो किलो चावल के बदले कभी 1 किलो चिरोंजी लेकर जाते थे 1991 की बात मैं आपको बता रहा हूँ और हमने भी महिला समुह के माध्यम से लगभग 2600 क्विंटल यहा महिला समुह के लिये काम किया और वह महुआ यहा से एकत्रित होकर राची जाता था तो केवल हमारे जो आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है यहा की जींदगी तीन चिजो पर निर्भर है पहली तो वो खेती करता है और आपकी ई.आई.ए. में देख रहा था कि जो यहा नहीं उगता है वो उगता है इनकी ई.आई.ए. के मुताबिक जो इन 43 गांव में नहीं उगता आपकी ई.आई.ए. में उग रहा था। इस क्षेत्र में लोग धान, उड़द, तिल, झुनगा की खेती ज्यादा करते हैं और दूसरा आपको बता दू कि यहा के लोग पशुधन पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, गाय पालते हैं, भैस पालते हैं और उनसे जो चिजे निकलती है उसको बाजार में बेचते हैं। तीसरा आपको बता दू 120 दिन का साल का यहा का आदिवासी जंगलो में काम करता है ये रोजगार गारंटी के अंदर हमने अध्ययन किया कि एक गांव का आदमी कितने दिन का रोजगार चाहिए वो जंगल से उत्पाद निकालकर उसको बेचते हैं और उससे जो आमदनी चलती है उस पर करते हैं। ये जो पुरा क्षेत्र है आप इस क्षेत्र का अध्ययन झिंगोल, तमनार जाते समय देखीये सामारुमा के आगे इसमें लिखा है हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है वहा बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं और इस साल जो बारहसिंघा बोला जाता है वो वन विभाग के मुताबिक पूंजीपथरा और सामारुमा से लेकर इन क्षेत्रों में मारे गये हैं कभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया तो वन विभाग के लोग क्या झुठ बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि यहा कोई जंगली जानवर नहीं है और इस क्षेत्र के अंदर हम देखे यही आपकी केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है तराईमाल के स्कूल और आंगनबाड़ी का अध्ययन किया गया और वहा यह बोला गया कि ये स्कूल यहा से कही सुरक्षित जगह रखा जाये। प्रदूषण की वजह से बच्चों पर गंभीर बीमारी हो रही है ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, उनकी है और इसके बाद भी आप यह बोल देते हैं कि पी.एम. 10, पी.एम. 2.5, पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जमीन बहुत अच्छी है। आपको मालुम है कि यह मेरा क्षेत्र था मैं साक्षरता में काम करता था रायगढ़ जिले की सब्जियों की सबसे बड़ी सप्लाइ करने वाला गांव था वो तराईमाल था गोटिया जी बैठे हैं पुछ लीजिये तब वे जवान थे और मैं बच्चा था, अब वे बुड़े हो गये मैं जवान हो गया। सबसे बेहतर क्वालिटी के फुल गोभी और पत्ता गोभी, और करेला और हरी सब्जियां पैदा करने वाले केवल दो गांव थे एक तराईमाल था और दूसरा देलारी था जो पुरी सब्जियां रायगढ़ जाती थी और आज इसी गांव में सब्जि पैदा करके बता दीजिए। गौरमुडी में एक समुह के लोग अभी 10 साल तक सब्जि लगा कर औद्योगिक क्षेत्र में बेचते थे अभी मैं 6-7 दिन पहले

गया तो पुछा इस बार मुंगफली लगाये सब्जि क्यों नहीं लगाये तो उन्होंने कहा कि साहब प्रदूषण की वजह से सब्जियां जैसे ही उनका पेड़ बड़ता है वो अपने आप मर जाते है चाहे हम जितनी भी दवाई डाले और अगर उसमें 10 प्रतिशत पेड़ बच गये तो उससे जो फल उत्पादित होता है वो रोगग्रस्त होते है और वो सब्जियां चाहे वह लौकी हो, करेला हो, भिण्डी हो वो बाजार में नहीं बिक रही है तो एक गांव का सीधा-साधा आदमी बोल रहा है कि प्रदूषण की वजह से मेरी ये हालत हुई है और आप बोलते हो कि गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इनके पास कोई अध्ययन नहीं है टी.बी. का नहीं है, दमा का नहीं है, इस्नोपिलिया का नहीं है, कुपोषण बीमारी का नहीं है इसका अध्ययन होना चाहिए और मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र में कम से कम आप है हमारे कटारा साहब है जैसे पिछले कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमने बाहर से आई टीमों का सहयोग, मदद किया था मैं फिर कहता हूँ कि करुंगा। एक कम से कम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का अध्ययन हो जाये नहीं तो जो ये विकास है ये विकास धरा का धरा रह जायेगा और विनाश के रूप में यहा के लोग मारे जायेंगे इस क्षेत्र में विकलांग बच्चे पैदा होने लगे, इस क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को पुछिये कितना गर्भपात महिलाओं का होता है, स्तनधारी जीवों में कितना गर्भपात होता है। स्तनधारी जीवों में 32 प्रतिशत गर्भपात 10 किलोमीटर के रेडियस में होता है अध्ययन रिपोर्ट है। तो ये जीवन के साथ खीलवाड़ नहीं है तो क्या है तो कम से कम मैं भी चाहता हूँ कि विकास हो, हम जापान जैसे बन जाये, हर घर का आदमी कोई भीख ना मांगे, कोई आदमी नौजवान किसी के घर में मजदुरी करने ना जाये वो अपने घर में इतना बड़ा उद्योग स्थापित कर ले कि उसके घर के 10 लोग मिलकर इतना पैसा कमाये कि उसको बीजली, पानी, सड़क, सुरक्षा मिल जाये हम भी चाहते है परन्तु किस आधार पर, किन मूल्यों पर, हमारा मूल्य क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चिजो का ध्यान रखा जाये और इनके आधार पर पुरी गतिविधिया आगे भी संचालित किया जाये। मैने आपके विभाग का लेटर खेलकर देख है एक चिज और बोलना चाहता हूँ। इसमें 40 ऐसे उद्योग है मैने आर.टी.आई. में पुछा था कि विगत एक साल में कितने उद्योगों पर कार्यवाही की गई। 40 उद्योगों को आपके द्वारा नोटिस दी गई आपके विभाग के द्वारा तब वो यहा प्रदूषण फैला रहे थे और जब आपके विभाग के द्वारा नोटिस दे दी गई एक हप्ते के बाद उनको पुनः संचालन की अनुमति दे दी गई तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या वो एक हप्ते के बाद आक्सिजन फेकने लगे वो रूपानाधाम है। जब आपकी नोटिस जाती है तो नाईट्रन, फास्फोरस ये सब फेकते है और आपके नोटिस मिलने के एक हप्ते, 10 दिन बाद फिर आपका एक नोटिस जाता है कि जवाब भी है प्रश्न भी है और वे फिर आक्सिजन फेकने लगते है आपका विभाग उनको अनुमति दे देता है। मैं देख रहा था कि आपकी गाड़ी यहा से निकली गेरवानी तक पहुंची होगी तो सभी उद्योगो का ई.एस.पी. बंद हो गया, धुआं चालु हो गया आपके जाने से 10-15 मिनट के अंदर-अंदर और मैं यहा से गेरवानी तक वाच करते-करते गया चाहे तो मैं आपको फोटो भी दे दूंगा परसो का, डेट, टाईम और उसका जी.पी.एस. रिपोर्ट भी है मेरे पास तो ना तो उद्योगपति जवाबदेह है, ना हमारे देश के जनप्रतिनिधि जवाबदेह है, ना तो हमारे यहा के नौकरसाही व्यथ्या जवाबदेह है तो इसके लिये कही ना कही हम सब की जवाबदेही सूनिश्चित करनी होगी और उसके आधार पर आगे की गतिविधिया करनी होगी। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

- 5/6
560. योगेश कुमार पाण्डेय, रायगढ़ - विकास का कार्य उद्योग नहीं है। हमारी जो छोटी-छोटी चाहत है मिट्टी में मिल गई। हमारे लघु उद्योग है कुटिर उद्योग है उस पर व्यापक रूप से पुरे समाज के उपर दिख रहा है। यदि आप उन्हे अनुमति देते है और यही रवैया जारी रहा तो परिणाम कुछ और होगा। और विकास के बजाय मरने की हालत में पहुच जाए। मैं इस तरह के उद्योग का विरोध करता हूँ अगर दे तो पर्यावरण के हिस्सा से दिया जाये। मैं यह चाहता हूँ कि इन्हे अनुमति नहीं दिया जाये।
561. दयानंद पटनायक, तमनार - मैं विरोध दर्ज करा रहा हूँ। हवा इतना दूषित हो गया है कि इन्हे विस्तार नहीं देना चाहिए।
562. कन्हैई राम पटेल, सारसमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, ग्राम-तुमिडीह, तहसील-धरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) का विरोध करता हूँ। जब तक हवा, मिट्टी, पानी ठीक नहीं हो तो यहा उद्योग नहीं लगना चाहिए मुझे बोला गया है। उद्योग नहीं लगना चाहिए। मैं
563. कुमारी, तराईमा -
564. गजराज, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
565. सुमन, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
566. सुरज राम राठिया - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
567. जगेश्वर राठिया, छर्गाटांगर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
568. ईशवर डनसेना - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
569. शिवकुमार - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
570. रामनाथ यादव, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
571. दिलीप कुमार यादव, - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
572. मेहर साय यादव, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
573. सुधु यादव, - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
574. दिलबोध यादव, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
575. जितेन्द्र - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
576. दिपक कुमार - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
577. रामप्रसाद - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
578. करम सोनी, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
579. रथुराम तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
580. दुर्गेश कुमार तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
581. प्रताप सिंह, छर्गाटांगर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
582. रतिराम सोनी, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
583. सिदार - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
584. नारायण, छर्गाटांगर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
585. सेतकुमार, - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
586. रमेश, छर्गाटांगर - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
587. परमानंद - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
588. सहस राम, - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
589. शिवकुमार - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
590. नंद कुमार - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
591. अमृत लाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
592. कल्लु सिदार, तराईमाल - मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

634. अरविंद वर्मा, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
635. उत्तम देवांगन, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
636. योगेन्द्र, गेरवानी – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
637. गंगाराम, देलारी – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
638. नवीन, – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
639. खीरसागर – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
640. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार दे। योग्यता अनुसार पद दें। रायगढ़ लोकल को विस्तार करें।
641. सुरेश कुमार पण्डा, गौरमुडी – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
642. अनिल अग्रवाल, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
643. विकास अग्रवाल, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
644. लक्ष्मी भगत, तराईमाल – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
645. अभिषेक, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर. स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 4:00 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री ललित कुमार सिंघानिया प्रोजेक्ट कंसलटेंट द्वारा बताया गया कि ये प्रस्तावित परियोजना में कोयले का उपयोग नहीं होगा। न बिजली का उत्पादन होगा। इण्डकशन में फेरो एलसायज होगा। इससमें किससी प्रकार के इमिशन पैदा नहीं होगा। इण्डकशन फर्नेस प्रक्रिया के अन्द सल्फेट शुन्य होता है। कोरना काल में भारत शासन के दिशा निर्देश अनुरूप जन सुनवाई कराई जा रही है। प्रदूषण से मलेरिया या टाईफाईट नहीं होता है। स्थानिय स्तर में कोई बिमारी आती है तो उसका इलाज कराया जायेगा। शासन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है की सार्वजनिक स्थान में जन सुनवाई न हो। ई.आई.ए. में 2020 के आकड़े को लेकर हम आकड़े प्रस्तुत किया है। शासन द्वारा जिन जिन स्थानों में ई.आई.ए. देना होता है वहा सूचना दी गई है। मजदूर दर शासन के दर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ग्राम सभा की अनापत्ति पूर्व में लिया गया है। उद्योग प्रबंधन द्वारा जो भी सहयोग ग्रामवासियों के लिये बनता है किया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 151 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात राय 04:30 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।


03/03/2021
(आर.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़


(आर.के. कटारा)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)